(3)

संख्या– 12 /XXII/2011–16(10)2010

प्रेषक,

डा0 उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सूचना अनुभाग देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2011

विषयः– **राजस्व ग्राम दूतीबगड़, तहसील–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़ में स्थित सूचना विभाग की 0.033 हैक्टेयर भूमि को राजी जनजाति के कल्याणार्थ कार्य कर रही संस्था राजी जनजाति कल्याण समिति, किमखौला जौलजीवी को पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1067/पन्द्रह–रा0स0/2009–10, दिनांक 25 मई, 2010, पत्र संख्या–र–6409/पन्द्रह–रा0स0/2009–10, दिनांक 16 जून, 2010 एवं पत्र संख्या–र–6409(1)/पन्द्रह–रा0स0/2009–10, दिनांक 16 जुलाई, 2010 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक 12 सितम्बर, 1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व ग्राम दूतीबगड़, तहसील–धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़ में स्थित सूचना विभाग की 0.033 हैक्टेयर भूमि को राजी जनजाति के कल्याणार्थ कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्था विलुप्त राजी जनजाति कल्याण समिति, किमखौला जौलजीवी को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त भूमि को पट्टे में दिये जाने से पूर्व वर्तमान में विद्यमान शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार धनराशि पंजीकृत मूल्य के रूप में जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग राजी जनजाति कल्याण समिति, किमखौला जौलजीवी द्वारा राजी जनजाति के कल्याणार्थ कार्यो के लिये ही किया जायेगा, यदि संस्था द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है, या संस्था किसी अन्य कारण से राजी जनजाति के कल्याणार्थ कार्य नहीं करती है, तब लीज निरस्त समझी जायेगी।

(3) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(4) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से संबंधित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6, दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिये होगा और पट्टेदार के लिये दो बार 30–30 वर्ष के लिये इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(5) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित सरकार को वापस हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(6) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 7 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुये शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की एक प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 उमाकांत पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या– 12 (1)/XXII/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल,
3– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अध्यक्ष, विलुप्त राजी जनजाति कल्याण समिति, ग्राम किमखोला, पो.–जौलजीवी, तहसील धारचूला, जनपद–पिथौरागढ़।
5– जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़।
6– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।